

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 136

रिपोर्ट पटवारी तीतरडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

सेवा में,

श्रीमान भू-अभिलेख महोदय जी,
भू-अभिलेख वृत खीना

विषय :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत।

महोदय जी,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अनुसार ग्राम तीतरडी की खाता संख्या 187/104 में प्रार्थी का नाम राजपसिंह फुल सरदार सिंह व राजपसिंह है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम राजपसिंह फुल सरदार सिंह दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम तीतरडी की खाता संख्या 187/104 में दर्ज नाम राजपसिंह फुल सरदार सिंह, खीना के स्थान पर सही इन्द्राज राजपसिंह फुल सरदार सिंह दर्ज किया जाना उचित है।

पटवारी
[Signature]

भू-अभिलेख निरीक्षक वृत खीना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय जी,
तहसील गिर्वा ।

विषय :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत।

महोदय जी,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, संलग्न दस्तावेज एवं गवाहों के बयान अनुसार ग्राम तीतरडी की जमाबन्दी की खाता संख्या 187/104 में दर्ज नाम राजपसिंह फुल सरदार सिंह, खीना के स्थान पर सही नाम राजपसिंह फुल सरदार सिंह दर्ज किया जाना उचित है।

[Signature]
भू-अभिलेख निरीक्षक

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) गिर्वा जिला उदयपुर

क्रमांक : भू.अ./ग.सं.सि./2025/2
सेवा में,

दिनांक : 17/12/2025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय जी,
उपखण्ड गिर्वा

विषय :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत।

महोदय जी,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना एवं पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम तीतरडी की जमाबन्दी की खाता संख्या 187/104 में दर्ज नाम/इन्द्राज राजपसिंह फुल सरदार सिंह व राजपसिंह के स्थान पर सही नाम/इन्द्राज राजपसिंह फुल सरदार सिंह दर्ज करने की अनुषंशा की जाती है।

[Signature]
17/12/2025
तहसीलदार (भू.अ.) गिर्वा
जिला उदयपुर (राज.)